IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अनुसूचित जातियों के समावेशी विकास में कल्याणकारी योजनाओं का योगदान: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

अविनाश मिश्रा[1], प्रोफेसर लालिमा सिंह[2]

[1] शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, एस. एस. खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज ,इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

[2] प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस. एस. खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारतीय समाज में अनुसूचित जातियाँ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक बहिष्करण, जातिगत भेदभाव, आर्थिक वंचना तथा शैक्षिक पिछड़ेपन से प्रभावित रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान द्वारा सामाजिक न्याय, समानता और अवसरों की समानता को सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसी के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के समावेशी विकास में इन योजनाओं के योगदान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है तथा जनगणना, भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों और संबंधित सरकारी संस्थाओं के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 2024 में उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 41.32 लाख विद्यार्थियों को 4,965.45 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में सहायता के बाद लाभार्थियों में स्वरोजगार का अनुपात 46.62 प्रतिशत से बढ़कर 73.95 प्रतिशत तथा सामाजिक स्थिति में सुधार अनुभव करने वालों का अनुपात 81.30 प्रतिशत रहा।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ अनुसूचित जातियों की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगार तथा सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि योजनाओं की पहुँच, प्रशासनिक विलंब, डिजिटल असमानता और सामाजिक-आर्थिक विविधता जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

प्रमुख शब्द: समावेशी विकास, कल्याणकारी योजनाएँ, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता।

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना में जाति एक ऐसी संस्था रही है जिसने सामाजिक संबंधों, व्यवसाय, विवाह, प्रतिष्ठा तथा संसाधनों के वितरण को प्रभावित किया। जातिगत स्तरीकरण में सामाजिक स्थिति जन्म के आधार पर निर्धारित होती रही और विभिन्न समूहों के बीच अवसरों का वितरण समान नहीं था। अनुसूचित जातियाँ इस ऐतिहासिक असमानता की सबसे अधिक प्रभावित सामाजिक श्रेणियों में रही हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा को लोकतांत्रिक समाज की आवश्यक शर्त माना। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थायी हो सकता है जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी विकसित हो। इसी विचारधारा ने स्वतंत्र भारत की सामाजिक न्याय संबंधी नीतियों को वैचारिक आधार प्रदान किया। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया तथा अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया। संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है।

इसके बाद आरक्षण, छात्रवृत्ति, छात्रावास, आर्थिक सहायता, कौशल विकास, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण से संबंधित अनेक कार्यक्रम विकसित हुए। समय के साथ कल्याण की अवधारणा भी बदली है। प्रारंभिक योजनाएँ मुख्यतः राहत और सहायता पर केंद्रित थीं, जबकि वर्तमान योजनाओं में शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से दीर्घकालीन सशक्तीकरण पर अधिक बल दिखाई देता है। इस परिवर्तन को अनुसूचित जातियों के विकास के समाजशास्त्रीय अध्ययन में विशेष महत्व प्राप्त है। यदि किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है तो इसका प्रभाव केवल उसके विद्यालय या महाविद्यालय में बने रहने तक सीमित नहीं होता। शिक्षा उसके रोजगार, सामाजिक संपर्क, आकांक्षा, आत्मविश्वास और अगली पीढ़ी की शैक्षिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी परिवार को आर्थिक सहायता से व्यवसाय स्थापित करने का अवसर मिलता है, तो उससे आय में वृद्धि के साथ परिसंपत्ति निर्माण, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की क्षमता में भी परिवर्तन संभव है। इसलिए कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन केवल सरकारी व्यय के अध्ययन तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक प्रश्न यह है कि **सरकारी हस्तक्षेप सामाजिक संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है।**

2. समस्या का कथन

अनुसूचित जातियों के लिए अनेक संवैधानिक संरक्षण और कल्याणकारी योजनाएँ उपलब्ध होने के बावजूद सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि योजनाएँ अप्रभावी हैं; बल्कि यह संकेत करता है कि योजना आधारित हस्तक्षेप और सामाजिक परिवर्तन के बीच कई मध्यवर्ती सामाजिक प्रक्रियाएँ कार्य करती हैं। किसी योजना की औपचारिक उपलब्धता और वास्तविक लाभ-प्राप्ति दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं। उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध होने के बावजूद विद्यार्थी आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण-पत्र, संस्थागत सत्यापन या भुगतान में देरी के कारण लाभ से वंचित हो सकता है। इसी प्रकार आर्थिक सहायता उपलब्ध होने के बावजूद यदि बाजार, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वित्तीय मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हैं तो ऋण या अनुदान से स्थायी आय उत्पन्न करना कठिन हो सकता है। अतः इस अध्ययन की मूल समस्या यह है कि **सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ अनुसूचित जातियों के समावेशी विकास में किस सीमा तक वास्तविक परिवर्तन उत्पन्न कर रही हैं और उनके प्रभाव को सरकारी आँकड़ों के माध्यम से किस प्रकार समझा जा सकता है।**

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए समावेशी विकास की समाजशास्त्रीय अवधारणा के संदर्भ में उनकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जातियों के लिए संचालित प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करना तथा शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के विस्तार में उनके योगदान का विश्लेषण करना।
3. सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों एवं सार्वजनिक व्यय से संबंधित उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर आय, स्वरोजगार, रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
4. अनुसूचित जातियों के सामाजिक समावेशन में कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन करते हुए उनके क्रियान्वयन में विद्यमान सामाजिक, प्रशासनिक एवं संस्थागत बाधाओं की पहचान करना।

4. शोध प्रश्न

1. अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति क्या है तथा समावेशी विकास की समाजशास्त्रीय अवधारणा के संदर्भ में उनकी स्थिति को किस प्रकार समझा जा सकता है?
2. अनुसूचित जातियों के लिए संचालित सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के विस्तार में किस प्रकार योगदान दे रही हैं?
3. सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से अनुसूचित जातियों की आय, स्वरोजगार, रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं?
4. अनुसूचित जातियों के सामाजिक समावेशन में सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ कितनी प्रभावी हैं तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में कौन-कौन सी सामाजिक, प्रशासनिक एवं संस्थागत बाधाएँ विद्यमान हैं?

5. सैद्धांतिक आधार

अनुसूचित जातियों के समावेशी विकास को समझने के लिए सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक बहिष्करण, क्षमता तथा सामाजिक गतिशीलता के दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। जाति भारतीय समाज में जन्म आधारित सामाजिक स्तरीकरण का ऐतिहासिक रूप रही है, जिसके कारण सामाजिक अवसरों, संसाधनों और प्रतिष्ठा का वितरण असमान रहा। इस संदर्भ में अनुसूचित जातियों के लिए सकारात्मक भेदभाव को केवल आर्थिक सहायता के रूप में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक असमानताओं को कम करने के लिए राज्य द्वारा किए गए संस्थागत प्रयास के रूप में समझना आवश्यक है। सामाजिक बहिष्करण के दृष्टिकोण से अनुसूचित जातियों की वंचना केवल गरीबी तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, संस्थागत अवसर, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा से व्यवस्थित दूरी से भी संबंधित है। अतः कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल आय में वृद्धि करना नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्करण की संरचनाओं को कमजोर करते हुए विकास के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना भी है। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार विकास का वास्तविक अर्थ व्यक्ति की क्षमताओं, अवसरों और स्वतंत्रताओं का विस्तार है। इस दृष्टि से छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा, कौशल विकास तथा स्वरोजगार संबंधी योजनाएँ अनुसूचित जातियों की क्षमताओं और अवसरों को विस्तारित करने का माध्यम बनती हैं। इसलिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को अनुसूचित जातियों के लिए केवल सहायता के साधन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्करण को कम करने, क्षमताओं का विस्तार करने तथा सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम के रूप में समझा जा सकता है।

6. शोध-पद्धति

यह अध्ययन **द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक समाजशास्त्रीय अध्ययन** है। प्रमुख स्रोतों में भारत की जनगणना, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिवेदन, संसद में दिए गए सरकारी उत्तर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के आँकड़े तथा सरकारी योजना संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। जहाँ नवीनतम योजना-विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध हैं, वहाँ 2024–25 और 2025–26 के आँकड़ों को प्राथमिकता दी गई है। अनुसूचित जातियों की व्यापक जनसांख्यिकीय एवं शैक्षिक स्थिति के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग किया गया है क्योंकि जाति-विशिष्ट विस्तृत जनगणना आँकड़ों का नवीनतम व्यापक आधार अभी भी 2011 ही है। जनगणना में अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण, नगरीय, लिंग और शिक्षा संबंधी विस्तृत तालिकाएँ उपलब्ध हैं।

7. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 20.14 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 16.63 प्रतिशत थी। इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण अनुसूचित जातियों का विकास केवल किसी एक मंत्रालय या एक योजना का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण प्रश्न है।

तालिका 1 : भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या

सूचक	आँकड़ा
भारत की कुल जनसंख्या, 2011	121.09 करोड़
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या	20.14 करोड़
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का हिस्सा	लगभग 16.63 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति आबादी	लगभग तीन-चौथाई
नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति आबादी	लगभग एक-चौथाई

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011।

समाजशास्त्रीय व्याख्या

अनुसूचित जातियों की बड़ी ग्रामीण आबादी यह स्पष्ट करती है कि उनके समावेशी विकास को ग्रामीण सामाजिक संरचना से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भूमि, कृषि मजदूरी, स्थानीय रोजगार, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच इस समुदाय की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है।

इस तथ्य के कारण ऐसी योजनाएँ अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो केवल व्यक्तिगत आर्थिक सहायता नहीं देतीं बल्कि अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण भी करती हैं।

यहीं प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का महत्व सामने आता है। वर्ष 2024–25 में इस योजना के अंतर्गत 4,928 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया और 4,25,821 लाभार्थियों को लाभ मिला। यह आँकड़ा बताता है कि योजना व्यक्तिगत लाभार्थी की सहायता से आगे बढ़कर सामुदायिक स्तर पर सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का प्रयास करती है।

8. अनुसूचित जातियों की साक्षरता

शिक्षा सामाजिक समावेशन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जातियों की साक्षरता में पूर्ववर्ती दशक की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई।

तालिका 2 : अनुसूचित जातियों की साक्षरता

सूचक	2001	2011
कुल साक्षरता	54.69 प्रतिशत	66.07 प्रतिशत
पुरुष साक्षरता	66.64 प्रतिशत	75.17 प्रतिशत
महिला साक्षरता	41.90 प्रतिशत	56.46 प्रतिशत

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001 एवं 2011। विस्तृत अनुसूचित जाति शिक्षा आँकड़े जनगणना की शैक्षिक तालिकाओं में उपलब्ध हैं।

2001 से 2011 के बीच अनुसूचित जातियों की कुल साक्षरता में लगभग 11.38 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। महिला साक्षरता में लगभग 14.56 प्रतिशत अंकों की वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

यह वृद्धि शिक्षा संबंधी सरकारी हस्तक्षेपों की उपयोगिता को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। हालांकि इस वृद्धि को सीधे किसी एक योजना का परिणाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साक्षरता अनेक सामाजिक और संस्थागत कारकों से प्रभावित होती है।

फिर भी छात्रवृत्ति, छात्रावास, शुल्क सहायता और विद्यालयी सुविधाओं जैसी योजनाएँ आर्थिक बाधाओं को कम करके शिक्षा जारी रखने में योगदान कर सकती हैं।

भाग–3 : सरकारी योजनाओं के वास्तविक आँकड़े और उनका प्रभाव

9. उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा में निरंतरता के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है।

तालिका 3 : उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत लाभार्थी एवं व्यय

वर्ष/अवधि	लाभार्थी	छात्रवृत्ति राशि
2023, 22 दिसंबर तक	34,58,538	₹3,546.34 करोड़
2024, 31 अक्टूबर तक	41,32,000	₹4,965.45 करोड़
2024–25 वास्तविक व्यय	—	₹5,581.52 करोड़

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

विस्तृत समाजशास्त्रीय व्याख्या

तालिका 3 इस शोध-पत्र की सबसे महत्वपूर्ण तालिकाओं में से एक है क्योंकि यह सीधे दिखाती है कि शिक्षा के लिए सरकार कितने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संसाधन उपलब्ध करा रही है। 2024 में 31 अक्टूबर तक 41.32 लाख अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को लगभग 4,965.45 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की गई। यह केवल वित्तीय हस्तांतरण नहीं है। इसका सामाजिक अर्थ यह है कि लाखों विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा में बने रहने की आर्थिक बाधा को कम करने का प्रयास किया गया। 2024–25 में इस योजना का वास्तविक व्यय 5,581.52 करोड़

रुपये रहा। इससे स्पष्ट है कि यह योजना छोटे पैमाने की सहायता योजना नहीं बल्कि अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश का माध्यम है।

इस योजना को सामाजिक गतिशीलता से जोड़कर देखना अधिक उचित है। यदि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का विद्यार्थी केवल इसलिए शिक्षा छोड़ देता है कि परिवार शुल्क, पुस्तक, आवास या अन्य शैक्षिक खर्च वहन नहीं कर सकता, तो छात्रवृत्ति उस सामाजिक अवरोध को कम कर सकती है। इस प्रकार छात्रवृत्ति का लाभ तीन स्तरों पर देखा जा सकता है—पहला, विद्यार्थी की शिक्षा में निरंतरता; दूसरा, परिवार पर शैक्षिक खर्च का दबाव कम होना; और तीसरा, भविष्य में बेहतर रोजगार की संभावना।

10. उच्च श्रेणी शिक्षा योजना

तालिका 4 : उच्च श्रेणी शिक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्धि

वर्ष	लाभार्थी	राशि
2024	4,563	₹93.77 करोड़

यह योजना 266 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देती है। योजना में संस्थागत स्तर पर पात्र अनुसूचित जाति छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान निर्धारित किए गए हैं। इस योजना का समाजशास्त्रीय महत्व केवल छात्रवृत्ति राशि में नहीं बल्कि **गुणवत्तापूर्ण संस्थानों तक पहुँच** में है। सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि अलग-अलग सामाजिक समूहों के विद्यार्थी किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँचते हैं। यदि अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों में भागीदारी बढ़ती है तो उनके रोजगार, सामाजिक नेटवर्क और पेशेवर अवसरों में विस्तार की संभावना होती है।

इसलिए उच्च श्रेणी शिक्षा योजना को मानव पूँजी निर्माण के साथ-साथ सामाजिक पूँजी के निर्माण की योजना भी माना जा सकता है।

11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शोधवृत्ति

तालिका 5 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शोधवृत्ति के लाभार्थी एवं व्यय

वित्तीय वर्ष	लाभार्थी	व्यय
2022–23	3,608	₹134.07 करोड़
2023–24	4,166	₹199.82 करोड़
2024–25	4,143	₹209.50 करोड़

स्रोत: भारत सरकार, संसद में प्रस्तुत आधिकारिक उत्तर, 17 मार्च 2026।

तालिका से पता चलता है कि 2022–23 से 2024–25 के बीच शोधवृत्ति पर सरकारी व्यय लगातार बढ़ा। लाभार्थियों की संख्या 3,608 से बढ़कर 4,143 हुई, जबकि व्यय 134.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 209.50 करोड़ रुपये हुआ।

यह वृद्धि अनुसूचित जातियों की उच्च शिक्षा और शोध में भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि ज्ञान-उत्पादन की सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है।

यदि अनुसूचित जाति के अधिक विद्यार्थी शोध में प्रवेश करते हैं तो विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और ज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक विविधता बढ़ती है।

12. राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति

2024 में राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति के अंतर्गत 80 अनुसूचित जाति लाभार्थियों को 56.29 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की गई। योजना में अनुसूचित जाति के लिए 115 निर्धारित स्थान हैं और प्रत्येक चयन वर्ष में 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ महिलाओं के लिए निर्धारित हैं।

यह संख्या कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या की तुलना में छोटी है, लेकिन इसकी सामाजिक भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा तक पहुँच प्रदान करती है।

13. लक्षित आवासीय शिक्षा योजना

तालिका 6 : लक्षित क्षेत्रों में आवासीय शिक्षा योजना की उपलब्धियाँ

शैक्षणिक वर्ष	उपलब्धि
2023–24	2,564 अनुसूचित जाति विद्यार्थी
विद्यालय	142 निजी आवासीय विद्यालय
2023–24 में कुल स्वीकृत/वितरित सहायता	₹51.57 करोड़
सहायता प्राप्त विद्यार्थी	7,543, विभिन्न घटकों सहित

स्रोत: भारत सरकार।

यह योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल आर्थिक सहायता देने के बजाय **शैक्षणिक वातावरण बदलने** का प्रयास करती है। 2023–24 में 2,564 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को 142 निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश मिला। ऐसी व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके स्थानीय क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी सुविधाएँ सीमित हैं। यहाँ समावेशन का अर्थ केवल "विद्यालय में प्रवेश" नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच है।

14. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

आर्थिक समावेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की रियायती ऋण योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं। 2025–26 में किए गए स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन ने 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के दौरान सहायता प्राप्त 5,480 लाभार्थियों का अध्ययन किया। अध्ययन 11 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में किया गया था।

तालिका 7 : आर्थिक सहायता के बाद आय में परिवर्तन

वार्षिक पारिवारिक आय	सहायता से पहले	सहायता के बाद
₹1.50 लाख से कम	67.39 प्रतिशत	44.74 प्रतिशत
₹1.50–3.00 लाख	32.61 प्रतिशत	46.28 प्रतिशत
₹3 लाख से अधिक की सीमा पार करने वाले	—	8.98 प्रतिशत

स्रोत: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रभाव मूल्यांकन, 2025–26।

यह तालिका सरकारी योजना के प्रभाव को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ केवल "कितने लोगों को ऋण मिला" नहीं बल्कि सहायता से पहले और बाद की आय संरचना की तुलना की गई है। सहायता प्राप्त करने से पहले 67.39 प्रतिशत लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 1.50 लाख रुपये से कम थी। सहायता के बाद यह अनुपात घटकर 44.74 प्रतिशत हो गया।

इसके विपरीत 1.50 से 3 लाख रुपये की आय वाले लाभार्थियों का अनुपात 32.61 प्रतिशत से बढ़कर 46.28 प्रतिशत हो गया। यह परिवर्तन यह संकेत देता है कि आर्थिक सहायता ने कम आय वाले परिवारों के एक हिस्से को अपेक्षाकृत उच्च आय श्रेणी में पहुँचाने में योगदान किया।

हालाँकि यहाँ सावधानी आवश्यक है। यह प्रभाव मूल्यांकन सहायता प्राप्त लाभार्थियों के नमूने पर आधारित है, इसलिए इसे पूरे देश की सभी अनुसूचित जातियों पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी यह सरकारी योजना के संभावित प्रत्यक्ष प्रभाव का मजबूत अनुभवजन्य प्रमाण उपलब्ध कराता है।

15. स्वरोजगार में परिवर्तन

तालिका 8 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम सहायता से स्वरोजगार में परिवर्तन

सूचक	सहायता से पहले	सहायता के बाद
कुल स्वरोजगार	46.62 प्रतिशत	73.95 प्रतिशत
गैर-कृषि स्वरोजगार	35.64 प्रतिशत	59.42 प्रतिशत
परिसंपत्ति बनाए रखने वाले लाभार्थी	—	93.54 प्रतिशत
सहायता का निर्धारित उद्देश्य में उपयोग	—	93.34 प्रतिशत

स्रोत: प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, 2025–26।

तालिका 8 सरकारी आर्थिक सहायता की प्रकृति को समझने में विशेष रूप से उपयोगी है। स्वरोजगार में लगे लाभार्थियों का अनुपात 46.62 प्रतिशत से बढ़कर 73.95 प्रतिशत हुआ। इसका अर्थ है कि योजना ने केवल आय हस्तांतरण का कार्य नहीं किया बल्कि रोजगार संरचना में परिवर्तन से भी संबंध स्थापित किया। गैर-कृषि स्वरोजगार में वृद्धि और भी महत्वपूर्ण है। इसका अनुपात 35.64 प्रतिशत से बढ़कर 59.42 प्रतिशत हुआ। यह पारंपरिक कृषि और मजदूरी निर्भरता से अधिक विविध आजीविका की ओर बढ़ने का संकेत देता है। 93.34 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा वित्तीय सहायता का निर्धारित उद्देश्य में उपयोग किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इससे यह संकेत मिलता है कि अधिकांश लाभार्थियों ने सहायता को उत्पादक गतिविधियों में लगाया।

16. सामाजिक स्थिति में परिवर्तन

तालिका 9 : आर्थिक सहायता और सामाजिक स्थिति

सामाजिक प्रभाव	प्रतिशत
सामाजिक स्थिति में सुधार की सूचना	81.30
उल्लेखनीय सुधार	58 प्रतिशत से अधिक
मध्यम सुधार	लगभग 23 प्रतिशत
परिसंपत्ति बनाए रखने वाले	93.54

स्रोत: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम प्रभाव मूल्यांकन।

यह तालिका इस शोध के केंद्रीय तर्क को मजबूत करती है कि आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन एक-दूसरे से जुड़े हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, वह स्वयं का व्यवसाय चलाता है और परिसंपत्ति का निर्माण करता है, तो उसकी सामाजिक निर्भरता कम हो सकती है। इससे परिवार की निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अध्ययन में 81.30 प्रतिशत लाभार्थियों ने सामाजिक स्थिति में सुधार की सूचना दी। 58 प्रतिशत से अधिक ने उल्लेखनीय सुधार और लगभग 23 प्रतिशत ने मध्यम सुधार बताया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र में सीमित नहीं रहता बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास तक भी फैल सकता है।

17. महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

तालिका 10 : महिलाओं पर आर्थिक सहायता का प्रभाव

सूचक	संख्या/प्रतिशत
सहायता से पहले गृहिणी महिलाएँ	705
सहायता के बाद स्वरोजगार में आईं	674
स्वरोजगार में परिवर्तित महिलाओं का प्रतिशत	95.60

स्रोत: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम प्रभाव मूल्यांकन।

यह आँकड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुसूचित जाति महिलाओं की स्थिति को जाति और लिंग दोनों प्रकार की असमानताओं के संदर्भ में समझना आवश्यक है। 705 ऐसी महिलाएँ थीं जो सहायता से पहले गृहिणी थीं। इनमें से 674 महिलाएँ सहायता प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार में आईं। अर्थात 95.60 प्रतिशत का यह परिवर्तन आर्थिक भागीदारी में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह केवल आय का परिवर्तन नहीं है। आर्थिक गतिविधि में भागीदारी महिलाओं की पारिवारिक निर्णय-क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए लक्षित आर्थिक योजनाएँ समावेशी विकास में दोहरी भूमिका निभा सकती हैं एक ओर जातिगत आर्थिक वंचना को कम करना और दूसरी ओर लैंगिक आर्थिक निर्भरता को कम करना।

18. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

यह योजना तीन महत्वपूर्ण आयामों को जोड़ती है—

1. अनुसूचित जाति बहुल गाँवों का विकास,
2. आय एवं रोजगार सृजन के लिए सहायता,
3. उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास।

तालिका 11 : प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की उपलब्धियाँ

घटक	उपलब्धि
2024–25 में आदर्श ग्राम घोषित	4,928
2024–25 में लाभार्थी	4,25,821
2021–22 से स्वीकृत परियोजनाएँ	9,549
केंद्रीय सहायता	₹1,219.80 करोड़
परियोजना लाभार्थी	2,01,006
स्वीकृत छात्रावास	866
छात्रावास से संभावित लाभार्थी	69,212
छात्रावास घटक में जारी राशि	₹936.27 करोड़

स्रोत: भारत सरकार, संसद में प्रस्तुत आधिकारिक उत्तर।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास को एक साथ जोड़ती है। 4,928 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित करना केवल आधारभूत सुविधाओं का निर्माण नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसे ग्रामीण सामाजिक वातावरण का निर्माण करना है जहाँ अनुसूचित जाति परिवारों को पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और अन्य बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्राप्त हो। इसी प्रकार 9,549 परियोजनाओं को स्वीकृति और 1,219.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता यह दर्शाती है कि आर्थिक विकास को परियोजना आधारित हस्तक्षेपों से जोड़ा गया है। छात्रावास घटक भी महत्वपूर्ण है। 866 छात्रावासों की स्वीकृति और 69,212 संभावित लाभार्थियों का आँकड़ा यह संकेत देता है कि आवासीय सुविधा को उच्च शिक्षा की पहुँच से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का विशेष महत्व है क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थान अक्सर स्थानीय गाँव से दूर होते हैं। आवासीय सुविधा दूरी और आवागमन की बाधा को कम कर सकती है।

19. योजनाएँ किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो रही हैं?

उपलब्ध सरकारी आँकड़ों के आधार पर योजनाओं के प्रभाव को पाँच प्रमुख स्तरों पर समझा जा सकता है।

पहला—शैक्षिक समावेशन

उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिल रही है। 2024 में 41.32 लाख लाभार्थियों और 4,965.45 करोड़ रुपये के वितरण का आँकड़ा इस योजना के व्यापक विस्तार को दिखाता है।

दूसरा—गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा

उच्च श्रेणी शिक्षा योजना के माध्यम से 2024 में 4,563 विद्यार्थियों को 93.77 करोड़ रुपये की सहायता मिली। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि योजना का लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुँच बढ़ाना है।

तीसरा—शोध और ज्ञान उत्पादन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शोधवृत्ति के माध्यम से 2024–25 में 4,143 शोधार्थियों को 209.50 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। इससे अनुसूचित जातियों की उच्च शिक्षा और शोध में भागीदारी को संस्थागत समर्थन मिलता है।

चौथा—आर्थिक आत्मनिर्भरता

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रभाव मूल्यांकन में स्वरोजगार 46.62 प्रतिशत से बढ़कर 73.95 प्रतिशत हुआ और 81.30 प्रतिशत लाभार्थियों ने सामाजिक स्थिति में सुधार की सूचना दी। यह योजना के आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रभावों को दर्शाता है।

पाँचवाँ—सामुदायिक विकास

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के माध्यम से 2024–25 में 4,928 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया और 4,25,821 लाभार्थियों को लाभ मिला। इससे व्यक्तिगत सहायता के साथ सामुदायिक आधारभूत सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है।

20. समावेशी विकास का समेकित मॉडल

इन आँकड़ों के आधार पर अनुसूचित जातियों के समावेशी विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है—

शिक्षा → कौशल → रोजगार → आय → परिसंपत्ति निर्माण → आत्मनिर्भरता → सामाजिक प्रतिष्ठा → सामाजिक गतिशीलता

यदि छात्रवृत्ति शिक्षा में बनाए रखती है, शिक्षा कौशल और रोजगार में बदलती है, रोजगार आय उत्पन्न करता है और आय परिसंपत्ति में बदलती है, तो कल्याणकारी योजना दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकती है।

इसी प्रकार—

ग्राम विकास → आधारभूत सुविधा → शिक्षा एवं स्वास्थ्य → उत्पादकता → सामाजिक समावेशन

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इसी प्रकार के सामुदायिक परिवर्तन को लक्षित करती है।

21. योजनाओं की सीमाएँ

सरकारी आँकड़े योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं, लेकिन इनके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी समस्याएँ समाप्त हो गई हैं।

पहली समस्या है **पहुँच में असमानता**। पात्रता और लाभ-प्राप्ति के बीच अंतर हो सकता है।

दूसरी समस्या है **प्रशासनिक विलंब**। उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सत्यापन और हिस्सेदारी की प्रक्रिया होती है। केंद्र का हिस्सा राज्यों द्वारा आवेदन सत्यापन और राज्य हिस्सेदारी जारी करने के बाद जारी किया जाता है।

तीसरी समस्या है **डिजिटल असमानता**। ऑनलाइन आवेदन और बैंक खाते से सीधे भुगतान पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिजिटल साधनों से वंचित लोगों के लिए सहायता व्यवस्था भी आवश्यक है।

चौथी समस्या है **अनुसूचित जातियों के भीतर असमानता**। सभी उपजातियों, महिलाओं, ग्रामीण परिवारों और अत्यंत गरीब परिवारों की स्थिति समान नहीं है।

पाँचवीं समस्या है **परिणामों का दीर्घकालिक मूल्यांकन**। लाभार्थियों की संख्या बताती है कि योजना कितनी व्यापक है, लेकिन यह नहीं बताती कि पाँच या दस वर्ष बाद लाभार्थियों की आय, शिक्षा और सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ।

22. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अनुसूचित जातियों के समावेशी विकास में सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक न्याय, अवसरों की समानता, मानव पूँजी निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य कर रही हैं। भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों द्वारा लंबे समय से अनुभव किए गए जातिगत बहिष्करण, सामाजिक वंचना और संसाधनों तक असमान पहुँच की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन योजनाओं का महत्व सामान्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की तुलना में अधिक व्यापक है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है। उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त होना इस बात का संकेत है कि राज्य शिक्षा से संबंधित प्रत्यक्ष आर्थिक बाधाओं को कम करने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2024 में उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 41.32 लाख विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होना योजना की व्यापक पहुँच को दर्शाता है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शोधवृत्ति के व्यय में 2022–23 के 134.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024–25 में 209.50 करोड़ रुपये होना यह संकेत देता है कि अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा और शोध में प्रवेश तथा निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हुई है। इस प्रकार शिक्षा संबंधी योजनाएँ केवल नामांकन बढ़ाने तक सीमित न रहकर दीर्घकालीन मानव पूँजी निर्माण में योगदान कर सकती हैं।

आर्थिक सशक्तीकरण के संदर्भ में भी योजनाओं का प्रभाव महत्वपूर्ण दिखाई देता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से संबंधित प्रभाव मूल्यांकन में स्वरोजगार का अनुपात 46.62 प्रतिशत से बढ़कर 73.95 प्रतिशत होना यह दर्शाता है कि लक्षित वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति लाभार्थियों को पारंपरिक निम्न आय वाले रोजगारों से बाहर निकलकर स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर प्रदान कर सकती है। इसी क्रम में आय, परिसंपत्ति निर्माण तथा सामाजिक स्थिति में सुधार के संकेत यह बताते हैं कि आर्थिक संसाधनों तक पहुँच का प्रभाव केवल परिवार की आय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। 81.30 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार की सूचना इस व्यापक सामाजिक प्रभाव की ओर संकेत करती है।

महिलाओं के संदर्भ में योजनाओं का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उपलब्ध प्रभाव मूल्यांकन में 705 गृहिणियों में से 674 महिलाओं का स्वरोजगार से जुड़ना इस तथ्य को रेखांकित करता है कि लक्षित आर्थिक सहायता महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी से परिवार की आय में वृद्धि के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी परिवर्तन की संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए अनुसूचित जाति महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को समावेशी विकास की व्यापक रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना आवश्यक है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि कल्याणकारी योजनाओं का दायरा व्यक्तिगत लाभ से आगे बढ़कर सामुदायिक विकास तक विस्तृत हो रहा है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत 2024–25 में 4,928 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल को दर्शाता है। इस प्रकार योजनाएँ शिक्षा, रोजगार, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ ग्रामीण आधारभूत संरचना तथा सामुदायिक विकास को भी संबोधित कर रही हैं।

हालाँकि, योजनाओं की व्यापक पहुँच अपने आप में उनके पूर्ण प्रभाव की गारंटी नहीं है। वास्तविक समावेशी विकास के लिए यह आवश्यक है कि पात्रता के साथ-साथ योजनाओं तक वास्तविक पहुँच, समयबद्ध भुगतान, प्रशासनिक सरलता, डिजिटल सुविधा, स्थानीय स्तर पर सहायता, महिलाओं की भागीदारी और दीर्घकालीन परिणामों को भी समान महत्व दिया जाए। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को एक समान सामाजिक समूह मानने के बजाय उपजातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय और आर्थिक विविधताओं को ध्यान में रखकर योजनाओं का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। अनुसूचित जातियों के भीतर मौजूद उपजातीय असमानताओं को समझे बिना योजनाओं के वास्तविक वितरणात्मक प्रभाव का समुचित आकलन संभव नहीं है।

अतः अध्ययन का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि अनुसूचित जातियों के समावेशी विकास में सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक बहिष्करण को कम करने, शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने, महिलाओं को सशक्त बनाने तथा सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रही हैं। तथापि, इन योजनाओं का प्रभाव अधिक व्यापक, समानतापूर्ण और स्थायी तभी हो सकता है जब शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय को अलग-अलग कार्यक्रमों के रूप में नहीं, बल्कि एकीकृत विकास व्यवस्था के रूप में लागू किया जाए।

23. नीतिगत सुझाव

अनुसूचित जातियों के समावेशी विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रशासन और क्रियान्वयन को अधिक सरल, पारदर्शी, लाभार्थी-केंद्रित और उत्तरदायी बनाया जाना आवश्यक है। आवेदन, दस्तावेजीकरण, सत्यापन तथा भुगतान की प्रक्रियाओं में अनावश्यक जटिलताओं को कम किया जाना चाहिए, ताकि लाभार्थियों को विभिन्न कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। विशेष रूप से छात्रवृत्ति योजनाओं में समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि भुगतान में देरी विद्यार्थियों की फीस, अध्ययन सामग्री तथा अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकती है। डिजिटल माध्यमों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाई जा सकती है, किंतु डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट सुविधा की असमानता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विकासखंड स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जहाँ लाभार्थियों को आवेदन, दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और भुगतान से संबंधित सहायता उपलब्ध हो सके।

शिक्षा संबंधी योजनाओं को केवल नामांकन और छात्रवृत्ति तक सीमित न रखते हुए उन्हें कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार मार्गदर्शन और नियुक्ति सहायता से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि शिक्षा से रोजगार तक निरंतरता स्थापित हो सके। इसी प्रकार स्वरोजगार एवं ऋण आधारित योजनाओं में केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लाभार्थियों को व्यवसाय प्रबंधन, लेखांकन, तकनीकी प्रशिक्षण, विपणन, डिजिटल वित्तीय व्यवहार, बाजार संपर्क और उद्यम संचालन संबंधी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे वित्तीय सहायता के उत्पादक उपयोग और उद्यमों की दीर्घकालीन स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अनुसूचित जाति महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को विशेष प्राथमिकता देते हुए उनके लिए ऋण, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह, बाजार संपर्क तथा वित्तीय साक्षरता से संबंधित लक्षित कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ परिवार और समुदाय में निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हो।

नीतियों के निर्माण एवं मूल्यांकन में अनुसूचित जातियों को एक समरूप समूह मानने के बजाय उपजाति, क्षेत्र, लिंग, आय, शिक्षा तथा ग्रामीण-शहरी स्थिति जैसी सामाजिक-आर्थिक विविधताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे उन समूहों की पहचान की जा सकेगी जो योजनाओं के लाभ से अपेक्षाकृत कम जुड़े हुए हैं और जिनके लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल लाभार्थियों की संख्या अथवा वितरित राशि के आधार पर न करके उनके दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिए योजनाओं के पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रभाव का नियमित अध्ययन करते हुए लाभार्थियों की आय, रोजगार, शिक्षा, परिसंपत्ति निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, जीवन-स्तर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में हुए परिवर्तन को मापा जाना चाहिए।

इसके साथ ही योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों में जागरूकता और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। ग्राम स्तर पर योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, उपलब्ध लाभ तथा शिकायत निवारण व्यवस्था के संबंध में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी, आवेदन अस्वीकृति, भुगतान संबंधी समस्याओं तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के समाधान के लिए सरल, सुलभ और प्रभावी स्थानीय शिकायत निवारण व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए तथा शिकायतों के निस्तारण के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए। शिक्षा, कौशल, रोजगार, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा और आवास जैसी विभिन्न योजनाओं के बीच संस्थागत समन्वय स्थापित कर एकीकृत सेवा व्यवस्था विकसित करना भी आवश्यक है, जिससे एक ही परिवार को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ परस्पर समन्वित रूप से प्राप्त हो सकें। अंततः योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में स्थानीय समुदाय, लाभार्थी समूहों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसी सहभागी व्यवस्था योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाने, प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ाने तथा अनुसूचित जातियों के वास्तविक और स्थायी समावेश को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ सूची

- भारत सरकार। (1950)। भारत का संविधान। नई दिल्ली: भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
- भारत सरकार। (1955)। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार। (1989)। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार। (2001)। भारत की जनगणना, 2001। नई दिल्ली: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय।
- भारत सरकार। (2011)। भारत की जनगणना, 2011: अनुसूचित जातियों की जनसांख्यिकीय एवं शैक्षिक सारणियाँ। नई दिल्ली: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय।
- भारत सरकार। (2023)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार। (2024क)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वर्षांत समीक्षा, 2024। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार। (2024ख)। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा योजना संबंधी उपलब्धियाँ। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार। (2025क)। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना संबंधी आधिकारिक आँकड़े। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार। (2025ख)। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: वित्तीय आँकड़े। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार। (2026क)। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शोधवृत्ति संबंधी सरकारी उत्तर। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार। (2026ख)। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक सहायता योजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
- घुर्ये, जी. एस. (1969)। भारत में जाति और नस्ल (5वाँ संस्करण)। बंबई: पॉपुलर प्रकाशन।
- सेन, अमर्त्य। (1999)। स्वतंत्रता के रूप में विकास। न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

- श्रीनिवास, एम. एन. (1966)। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। बर्कले: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस।
- थोराट, सुखदेव, एवं न्यूमैन, कैथरीन एस. (संपादक)। (2010)। जाति द्वारा अवरुद्ध: आधुनिक भारत में आर्थिक भेदभाव। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।